# केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वर्ष 2010 के लिए सिपाही/सामान्य ड्यूटी (पुरूष/महिला) की भर्ती हेतु विज्ञापन

1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/सामान्य ड्यूटी के पद की रिक्तियों को भरने के लिए त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के पुरूष/महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं ।
2. वेतनमान – वेतन बैण्ड –1 रू0 5200–20200/– एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–
3. अन्य भत्ते – केन्द्रीय कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर देय अन्य भत्ते ।
4. तैनाती स्थान – भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर किसी भी क्षेत्र में ।
5. (क) राज्य/श्रेणीवार जारी/अधिसूचित रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

| क सं | राज्य का नाम | पुरूष उम्मीदवारों के लिए | | | | | | | | | | | | | महिला उम्मीदवारों के लिए | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रिक्तियां | | | | | | | | | पिछली रिक्तियां | | | | रिक्तियां | | | | | पिछली रिक्तियां | | | |
| | | सामान्य | भू0पू0 सैनिक | अन्य पि0 वर्ग | भू0पू0 सैनिक | अनुसूचित जाति | भू0पू0 सैनिक | अनुसूचित जन जाति | भू0पू0 सैनिक | योग | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति | योग | सामान्य | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति | योग | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति | योग |
| 1. | त्रिपुरा | 13 | 01 | 01 | - | 04 | 01 | 08 | 01 | **29** | 02 | 04 | - | **06** | - | - | - | - | **-** | - | 01 | - | **01** |
| 2. | मिजोरम | 04 | 01 | - | - | - | - | 04 | - | **09** | 01 | - | - | **01** | - | - | - | - | **-** | - | - | - | **-** |

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त केवल नक्सल प्रभावित जिलों के लिए जारी/अधिसूचित रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

| क सं | राज्य का नाम | नक्सल प्रभावित अधिसूचित जिलें/क्षेत्र | पुरूष उम्मीदवारों के लिए | | | | | | | | | महिला उम्मीदवारों के लिए | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | रिक्तियां | | | | | | | | | रिक्तियां | | | | |
| | | | सामान्य | भू0पू0 सैनिक | अन्य पि0 वर्ग | भू0पू0 सैनिक | अनुसूचित जाति | भू0पू0 सैनिक | अनुसूचित जन जाति | भू0पू0 सैनिक | योग | सामान्य | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति | योग |
| 1. | त्रिपुरा | सम्पूर्ण राज्य | 43 | 05 | 02 | - | 14 | 02 | 26 | 03 | **95** | 01 | - | - | - | **01** |
| 2. | मिजोरम | सम्पूर्ण राज्य | 13 | 01 | 01 | - | - | - | 11 | 01 | **27** | - | - | - | - | **-** |

**टिप्पणी** :–

1) उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियां प्रशासनिक कारणों से बिना सूचित किए परिवर्तित हो सकती हैं।
2) यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक नहीं आते हैं तो उनके लिए आरक्षितों वर्गों की रिक्तियों को उसी वर्ग के शेष उम्मीदवारों से भरी जाएंगी ।

6. सभी चयनित उम्मीदवारों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह दिनांक 01/04/2004 से प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।
7. भूतपूर्व सैनिक एक प्रशिक्षित सैनिक होंने के कारण उनकी केवल लिखित तथा मेडिकल फिटनेस परीक्षण लिया जाएगा । सरकारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित शारीरिक स्तर तथा शिक्षा में पूर्ण छूट होगी । उन्हें वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और यह घटाई गई आयु निर्धारित सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होंनी चाहिए । हॉलाकि सैनिक सेवा एवं पुनः नौकरी के व्यवधान की अवधि 24 माह से अधिक नहीं होंनी चाहिए । भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

8. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत कार्मिकों के आश्रित इच्छुक होने पर तद्नुसार आवेदन कर सकते हैं । उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की समान ही भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा । सेवारत कार्मिकों के आश्रित या तो अपने गृह राज्य या भर्ती के समय जिस राज्य में उनके पिता/माता की तैनाती होगी, उस राज्य में भर्ती हेतु आवेदन पत्र भेज सकते हैं ।

9. <u>पात्रता की शर्तें</u> :–

क) <u>आयु</u> :– दिनांक 01/08/2010 को 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए ।

<u>छूट</u> :– Åपरी आयु सीमा में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष की छूट दी जायेगी । इसके अतिरिक्त :–

1) जम्मु व कश्मीर के निवासीयों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट (इस संबंध में सूचना पुस्तिका के पैरा **2 (ii) (ख)** को देखें )।

2) वर्ष 1984 के दंगे तथा 2002 में गुजरात राज्य में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों के लिए उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट (इस संबंध में सूचना पुस्तिका के पैरा 2 (ii)(ग) को देखें)।

ख) <u>**शैक्षिक योग्यता**</u> :–मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा 10वीं पास

ग) <u>**शारीरिक मानदंड**</u> :–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(i)** | **उॅचाई** | पुरुषों | – | 170 से.मी. |
| | | महिला | – | 157 से.मी. |
| **(ii)** | **सीना** | बिना फुलाए | – | 80 से.मी. |
| | **(केवल** पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) | फुलाकर | – | 85 से.मी. |
| | | (कम से कम 5 से.मी. तक फुलाव आवश्यक है) | | |

**छूटः–**
उन व्यक्तियों को जो गढवाल, कुमाउॅनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणी के है तथा सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एवं लेह व लद्दाख क्षेत्रों के रहने वाले हैं, को **शारीरिक मापदण्ड (लम्बाई** व सीना) में छुट का प्रावधान है । (इस संबंध में सूचना पुस्तिका के पैरा 2 (iv) (ख), (ग) तथा (घ) को देखें) ।

**(iii) वजन –** चिकित्सा मापदंण्डों के अनुसार **उॅचाई तथा आयु** के अनुपात में ।

**घ)चिकित्सा मापदण्ड**
सूचना पुस्तिका के पैरा 2 (v) (क) तथा (ख) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ।

10. <u>**भर्ती प्रक्रिया का अनुक्रम**</u>

जिन उम्मीदवारों के आवेदन पत्र ठीक पाए जाएंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र जारी किया जाएगा । ऐसे योग्य उम्मीदवारों की सूची आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्रों पर प्रदर्शित भी की जाऐगी । उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान, निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगाः–

क) **उॅचाई परीक्षा**
ख) **दौड़**

ग)	**पहचान जॉच**
घ)	**प्रपत्र / दस्तावेजों की जॉच**
च)	**शारीरिक मानदंड परीक्षा**
छ)	**शारीरिक दक्षता परीक्षा**
ज)	**लिखित परीक्षा**
झ)	**चिकित्सा परीक्षा**

टिप्पणी :–
**भर्ती प्रकिया के पूर्ण विवरण के लिए सूचना पुस्तिका के पैरा–3 को देखें ।**

11. इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित डाकघरों से दिनांक 26/07/2010 से 14/08/2010 तक की समयावधि में रू0 40/– (रूपये चालीस) मात्र पोस्टल हैण्डलिंग प्रभार के रूप में भुगतान करके ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र विस्तृत सूचना पुस्तिका के साथ प्राप्त कर सकते हैं :–

| **कम सं0** | **राज्य का नाम** | **डाकघर का नाम जहॉ आवेदन पत्र उपलब्ध है** |
|---|---|---|
| 01. | त्रिपुरा | खोवई, अगरतला एवं धर्मानगर |
| 02. | मिजोरम | आईजोल एवं चम्पई |

इसके अतिरिक्त, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नजदीकी पोस्ट आफिस जहॉ **ई–भुगतान** की सुविधा है, में **ई–भुगतान** के द्वारा आवेदन प्रभार के रूप में रू0 50/– (रूपये पचास) मात्र जमा कराएं और ओ.एम.आर. आवेदन फार्म में **ई–भुगतान** की रिसीप्ट नंबर दर्शाएं अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा । उपरोक्त आवेदन प्रभार के अतिरिक्त सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को डाक विभाग को **ई–प्रभार** जैसा लागू हो का भी भुगतान करना होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया है । प्रत्येक ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है । यदि डाकघरों से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है, तो उम्मीदवार को तत्काल संबधित पोस्टमास्टर से संपर्क करना चाहिए । आवेदन पत्रों को पूर्ण रूप से भरकर अपने राज्य के निर्धारित आवेदन प्राप्त केन्द्र के पते पर निर्धारित लिफाफें में हाथों–हाथ अथवा स्पीड/पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से दिनांक **25/08/10 पुनः 25/08/10** तक कार्यालय समय के बंद होने के पूर्व पहुंच जाना चाहिए । अंतिम तिथि के उपरांत तथा अपूर्ण प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

| **कम सं0** | **राज्य का नाम** | **आवेदन प्राप्ति केन्द्र** |
|---|---|---|
| 01. | त्रिपुरा / मिजोरम | पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सालबगान, अगरतला, जिला– वेस्ट त्रिपुरा, पिन कोड– 799012 |

12. आवेदन पत्र के साथ कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र/जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर भेजने की आवश्यकता नहीं है । हॉलाकि, जब उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के लिए भर्ती स्थल पर नियति तिथि एवं समय पर उपस्थित होगा **उसे अपने साथ सूचना पुस्तिका के पैरा – 8 (iii) में वर्णित दस्तावेज मूल रूप से उनकी एक–एक सत्यापित छाया प्रतिलिपि लानी होगी ।**

13. त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों में रहने वाले उम्मीदवारो को उनके संबंधित राज्य में भर्ती होने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में मान्य अधिवास प्रमाण पत्र, जो कि संबंधित राज्य के द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, को प्रस्तुत करने पर ही भर्ती के लिए विचार किया जाएगा ।

14. उम्मीदवारों की सहायता के लिए बेबसाईट, एस.एम.एस. आधारित पूछताछ एवं निम्नलिखित हेल्पलाईन नम्बर सहित खोली गई है :–

| | | |
|---|---|---|
| क) | संपर्क वेबसाईट :– | www.crpf.gov.in-recruitment-Ct/GD2010<br>अथवा<br>www.crpfrecruitment.org |
| ख) | दूरभाष नंबर :– | 0120 3800900 |
| ग) | एस.एम.एस. नं0 :– | CRPF 56767 |

इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार सेक्टर/आवेदन प्राप्ति केन्द्र के निम्नलिखित लैण्डलाईन, मोबाईल और ई–मेल पतों पर जानकारी/सहायता हेतु सम्पर्क कर सकते हैं :–

| राज्य | सैक्टर/आवेदन प्राप्ति केन्द्र | टेलीफोन सं0 | मोबाईल सं0 | ई–मेल |
|---|---|---|---|---|
| त्रिपुरा और मिजोरम | पुलिस महानिरीक्षक, त्रिपुरा सेक्टर, ऊषा बाजार, अगरतला, (पश्चिम त्रिपुरा) | 0381-2342551 | - | igptpa@crpf.gov.in |
| | पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सालबागान, अगरतला (पश्चिम त्रिपुरा) | 0381-2397682 | 08974476544 | digpgcagt@crpf.gov.in |

15. **सामान्य निर्देष** :–

1) केरिपुबल में नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार, केरिपुबल अधिनियम –1949 एवं नियमावली–1955 तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत शासित होंगे ।
2) शारीरिक दक्षता परीक्षण/यात्रा के दौरान, उम्मीदवार के घायल/चोटिल अथवा नुकसान हो जाने पर सरकार जिम्मेदार नहीं होगी ।
3) उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु लेखन सामग्री (नीला/काला बाल प्वाईंट पेन तथा क्लिप बोर्ड इत्यादि) स्वयं लानी होगी ।
4) उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी
5) उम्मीदवार अपने स्वयं के खर्चें एवं जोखिम पर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे और इसके लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा ।
6) सभी योग्य उम्मीदवारों को स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा भर्ती स्थान एवं तिथि से अवगत कराया जाएगा ।
7) सीने के एक्सरे, पैथोलॉजिकल तथा अन्य आवश्यक जॉच में योग्य घोषित होने पर ही उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से चयन किया जायेगा ।
8) उम्मीदवारों को भर्ती होने पर केरिपुबल के प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।
9) चयनित/नियुक्ति होने के उपरान्त यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य या तथ्यों को छुपाने का दोषी पाया जाता है तो बिना कारण बताएं उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएंगी ।
10) भर्ती के लिए कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंने से स्वतः अयोग्य हो जाएंगे ।
11) लिखित परीक्षा का परिणाम केरिपुबल की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा साथ ही भर्ती केन्द्रों के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
12) भू0पू0 केरिपुबल कार्मिकों को नये प्रवेशक के रूप में माना जाएगा तथा उन्हें भू0पू0 सैनिक के समान कोई छूट नहीं दी जाएगी ।